



# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001  
email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurdjda.Org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक: F37(2)/नि.आ./एम्पावर्ड कमेटी/का.वि./2018/4373

दिनांक: 29/06/2018

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 25.04.2017 द्वारा गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 14.06.2018 को माननीय श्री महेंद्र राटोड अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई। जिसमें उपस्थित सदस्य/अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। बैठक में एजेन्डावार लिये गये निर्णय निम्नानुसार हैं:-

## कार्यवाही विवरण:-

| एजेन्डा संख्या | जोन    | विषय                                                                                                                                                           | निर्णय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.             | पश्चिम | राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा संख्या 12/1 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।<br>आवेदक:- श्री डूंगरराम पुत्र श्री गोविन्दराम | समिति को उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में प्राधिकरण स्तर पर समस्त भूखण्डों के पट्टे जारी किये जा चुके हैं। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.             | उत्तर  | राजस्व ग्राम भदवासिया के खसरा संख्या 69 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।<br>गार्ड पत्रावली                                     | समिति को अवगत करवाया गया कि-<br>1. प्रकरण में पत्रावली के बिन्दु संख्या 11 में निम्नानुसार उल्लेख है :-<br>"ग्राम भदवासिया के खसरा नं. 69 का ले-आउट प्लान पूर्व में ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 25.11.2011 में अनुमोदित किया गया है एवं ले-आउट प्लान पर उप नगर नियोजक एवं उपायुक्त के हस्ताक्षर भी हैं। शिकायत बाद प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जाँच उपरान्त नस्तीबद्ध कर दिया गया है। अतः प्रकरण में नियमन की कार्यवाही की जा सकती है।"<br>2. प्रकरण में पत्रावली के बिन्दु संख्या 14 पर की गई टिप्पणी अनुसार जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति द्वारा पारित निर्णय/निर्देशों अनुसार पूर्व में पारित ले-आउट प्लान व पश्चातवर्ती पारित ले-आउट प्लान में रकबा में अंतर होने के कारण नियमानुसार रिव्यू कर ले-आउट प्लान समिति की बैठक में रखे जाने का विनिश्चय प्राधिकरण द्वारा किया गया था। उक्त कार्यवाही विवरण में यह भी अंकित किया गया है कि, खसरा नं. 69 भदवासिया में दिनांक 25.11.2011 को स्वीकृत ले-आउट प्लान के आधार पर कोई पट्टा नहीं दिये जाने के संबंध में निर्देश दिये जाकर प्रभारी 90-क शाखा उत्तर जोन को पाबंद कर दिया गया है। उक्त प्रसंग में जेडीए डीसी को समस्त प्रकरण आगामी ले-आउट प्लान बैठक दिनांक 02.01.2014 में रखे जाकर निर्णय से अवगत करवाने का निर्देश प्रदत्त किया गया था। उक्त निर्देशों के अनुरूप बैठक में वर्तमान तक निर्णय पारित नहीं हुआ है।<br>3. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 22 व 37 पर संलग्न मानचित्र में भिन्नता है यथा पृष्ठ संख्या 37 में संलग्न फोटोप्रति अनुसार आवेदित भूमि के दक्षिण में पार्क दर्शाया है, जबकि पृष्ठ संख्या 22 में भूखण्ड दर्शाया जाकर क्षेत्र विश्लेषण अनुसार आवासीय क्षेत्रफल 75.8 प्रतिशत दर्शाया है। साथ ही मानचित्र को सुपरइम्पोज करवाया जाना अपेक्षित है तथा प्रकरण में वर्तमान मौका रिपोर्ट आवश्यक है।<br>4. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 37 पर संलग्न दिनांक 17.07.07 को अनुमोदित मानचित्र की छाया-प्रति में क्षेत्रफल विश्लेषण स्पष्ट नहीं है तथा पत्रावली के पृष्ठ संख्या 22 पर संलग्न दिनांक 25.11.11 को अनुमोदित मानचित्र में क्षेत्र विश्लेषण निम्नानुसार है :- |

| क.सं. | प्रयोजन            | एरिया वर्गगज | प्रतिशत |
|-------|--------------------|--------------|---------|
| 1.    | आवासीय/प्लॉट एरिया | 15055.55     | 75.80   |
| 2.    | सड़क               | 4865.55      | 24.20   |
|       | कुल                | 19921.10     | 100.00  |

5. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2017 के अनुसार 70 प्रतिशत से अधिक लेकिन 75 प्रतिशत तक विक्रय योग्य क्षेत्रफल वाली योजनाओं का नियमन केवल उसी स्थिति में किया जायेगा, यदि अन्य कोई विकल्प नहीं बचा हो। अतः राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रेषित करते समय सभी बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट की जावे।

समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

1. प्रकरण एम्पावर्ड समिति से संबंधित नहीं है।
2. प्रकरण में पूर्व में राज्य सरकार द्वारा 70 प्रतिशत से अधिक बिक्री योग्य क्षेत्रफल की सक्षम स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है एवं ले-आउट प्लान पूर्व में 25.11.2011 को स्वीकृत हो चुका है। अतः उपायुक्त उक्त स्वीकृत ले-आउट अनुसार कार्यवाही करे।

*(Handwritten signatures and marks)*



|    |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | दक्षिण | राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 6/1 व 11/1 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।<br><br>आवेदक:- श्रीमती ओमकुमारी मिश्रा       | <p>समिति को अवगत करवाया गया कि-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रकरण में खसरा संख्या 6/1 व 11/1 का योजना मानचित्र जोन स्तर की ले-आउट प्लान की बैठक दिनांक 13.06.2013 के प्रस्ताव संख्या 02 अनुसार अनुमोदित है, जिसके कार्यवाही विवरण की प्रति पत्रावली में पृष्ठ संख्या 46 से 48 पर संलग्न व अनुमोदित मानचित्र पृष्ठ संख्या 43 पर संलग्न है, जिसके अनुसार आवेदित भूमि के दक्षिण-पश्चिमी दिशा में भूखण्ड संख्या 24 के पीछे की ओर एच. टी. लाइन गुजर रही है। जिसके नीचे 80 फीट सड़क दर्शाई हुयी है। उक्त सड़क के कारण भूखण्ड संख्या 24 में सड़क उपरान्त वास योग्य (हैबीटेबल स्पेस) क्षेत्रफल प्राप्त नहीं होता है।</li> <li>2. प्राप्त मौका रिपोर्ट पत्रावली के बिन्दु संख्या 34 व 40 अनुसार एच.टी. लाइन की क्षमता 11 के. वी. है। जिस पर नियमानुसार 3.5 मीटर सेफ्टी कोरिडोर होता है। परन्तु अनुमोदित मानचित्र में हाईटेन्शन लाइन के नीचे योजना मानचित्र में दर्शाये अनुसार 80 फीट चौड़ी सड़क हेतु भूमि छोड़े जाने की शर्त पर प्रश्नगत भूमि का ले-आउट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।</li> <li>3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार जनहित याचिका संख्या 1554/2004 में पारित निर्णय व राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.10.2017 में उल्लेखित प्रावधान प्रश्नगत प्रकरण पर लागू होंगे अथवा नहीं, बाबत विधि शाखा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुशरण में कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।</li> <li>4. उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त एच. टी. लाइन के नीचे लगभग सभी भूखण्डों के पूर्व में पट्टे जारी किये जा चुके हैं।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विद्युत लाइन की क्षमता कम होने के कारण पूर्व में अनुमोदित ले-आउट प्लान में विद्युत लाइन के नीचे सड़क को विलोपित करते हुये मानचित्र में संशोधन की स्वीकृति दिये जाते हुये उपायुक्त को पट्टा जारी करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही भविष्य में इस प्रकार के प्रकरण एम्पावर्ड समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर उपायुक्त को स्वयं के स्तर पर ही नियमानुसार निर्णय किये जाने का निर्देश प्रदत्त किया गया।</p> |
| 4. | दक्षिण | राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 753/212 की भूमि पर भूखण्ड संख्या 24, 25 के पुर्णगठन के संबंध में।<br><br>आवेदक:- श्री अनिला कोठारी                            | <p>समिति को अवगत करवाया गया कि-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नं. 753/212 के भूखण्ड संख्या 24 क्षेत्रफल 790.80 वर्गगज, भूखण्ड संख्या 25 क्षेत्रफल 1197.77 वर्गगज कुल क्षेत्रफल 1988.57 वर्गगज (1662.70 वर्गमीटर) का पुनर्गठन हेतु प्रकरण प्राप्त हुआ है। उपरोक्त भूखण्ड संख्या 24, 200 फीट चौड़ाई की सड़क के मध्य 75 फीट का वृक्षारोपण पट्टी स्थित है, व भूखण्ड संख्या 25, 30 फीट चौड़ाई की सड़क पर स्थित है।</li> <li>2. उपरोक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500 वर्गगज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.04.2017 अनुसार एम्पावर्ड समिति में निर्णयार्थ रखा जाना प्रस्तावित है।</li> <li>3. माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.01.2017 के पृष्ठ संख्या 249 के बिन्दु संख्या (16) के परिप्रेक्ष्य में पुनर्गठन पश्चात प्रश्नगत भूखण्ड पर अनुज्ञेय ऊँचाई के सम्बन्ध में निर्णय समिति स्तर पर लिया जाना प्रस्तावित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा प्रकरण में वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त कर तथा प्लानटेशन बेल्ट आदि बाबत सम्पूर्ण जांच करने हेतु उपायुक्त को निर्देशित किया गया।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. | दक्षिण | राजस्व ग्राम बासनी चौहाना के खसरा संख्या 7/5 के भूखण्ड संख्या 4/ए के व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में।<br><br>आवेदन:- श्रीमती देवी पत्नी श्री भंवरलाल | <p>समिति को अवगत करवाया गया कि-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ग्राम बासनी चौहाना के खसरा संख्या 7/5 भूखण्ड संख्या 04 'ए' रकबा 355.55 वर्गगज भूमि के वर्तमान भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (प्रकरण संख्या एफ.37/भूउप/01/2018 आवेदक श्रीमती देवी पत्नी श्री भंवर लाल पवार, भगत की कोठी, जोधपुर।)</li> <li>2. आवेदित भूमि मौके पर उपविभाजित भाग में पूर्व में निर्मित ढांचा ध्वस्त अवस्था में पाया गया। अतः उपविभाजित भाग रिक्त पाया गया। राजस्व ग्राम बासनी चौहाना के खसरा नं. 7/5 जोधपुर मास्टर प्लान- 2023 में भू-उपयोग आवासीय श्रेणी व मैन रोड (पाली) के सहारे सहारे वाणिज्यिक श्रेणी में आरक्षित है। आवेदित प्रकरण मैन पाली रोड (झालामण्ड सर्कल से आगे) पर स्थित है। पाली रोड का मार्गाधिकार मास्टर प्लान 2023 में 200' फीट आरक्षित है। उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख श्रीमती देवी पत्नी भंवरलाल घाँची के नाम 1244.44 वर्गगज का प्राधिकरण द्वारा जारी हुआ। उक्त भूखण्ड संख्या 04 का उपविभाजन 50'x64'x355.55 वर्गगज की गणना प्राधिकरण द्वारा दिनांक- 30.09.2014 को किया गया। आवेदित भूखण्ड पाली मुख्य सड़क के मध्य से 100' फीट दूर स्थित है।</li> <li>3. नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक- 16.04.2010 अनुसार व्यावसायिक भूखण्ड के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 750 वर्गमीटर आवश्यक होना चाहिये, लेकिन नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के परिपत्र दिनांक- 30.01.2012 अनुसार क्षेत्रफल में शिथिलता हेतु प्राधिकरण स्तर पर अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें सदस्य सचिव, सचिव प्राधिकरण को बनाया गया है, जिसमें निर्णय लिया जाना उचित होगा।</li> <li>4. नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक- 16.04.2010 के अन्तर्गत " यदि किसी</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                   |

भूखण्ड का भू-उपयोग उस क्षेत्र के लिये मास्टर प्लान में निर्धारित उपयोग के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है, तो ऐसे आवेदन पर भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क लेकर भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी किये जा सकते हैं, बशर्ते अन्य तकनीकी मापदण्ड की पूर्ति होती हो, इस प्रकार के आवेदन के निस्तारण के पूर्ति भू-उपयोग परिवर्तन नियम में निर्धारित प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं होगी।" जनहित याचिका गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में परित आदेश दिनांक- 12.01.2017 के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

समिति द्वारा प्रकरण शिथिलता से संबंधित होने तथा एम्पावर्ड समिति से संबंधित नहीं होने के कारण स्वायत्त शासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.01.2012 के अनुसार शिथिलता हेतु गठित समिति में उक्त प्रकरण को रखे जाने का निर्णय लिया गया।

समिति को अवगत करवाया गया कि-

1. आवेदित भूमि का भू-उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान-2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा आवेदित भूमि पाली से जोधपुर जानी वाली रेलवे लाईन पश्चिम में स्थित है एवं आवेदित भूमि में से दो 220 के.वी. की एच. टी. लाईनें गुजरती हैं।
2. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 08.03.2017 अनुसार 220 के.वी. एच. टी. लाईन हेतु 35 मीटर त्र्यंश आवश्यक है, जिसमें से सुरक्षात्मक दूरी के पश्चात 8.2 मीटर दोनों ओर सड़क में उपयोग ली जा सकती है।
3. सर्वे प्लान में दर्शाये भूखण्ड संख्या 123, 127 के पश्चिम में दर्शाये भूखण्ड तथा 123 की एप्रोच सड़क स्पष्ट नहीं होने के कारण पत्रावली के बिन्दु संख्या 30 अनुसार प्लान संख्या 123 से 127 के पश्चिम व उत्तर में स्थित भूखण्डों की अन्य कोलोनीयों में से पहुच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। इस हेतु मौका अनुसार पहुच मार्ग मानचित्र में दर्शाया जाना आवश्यक है।
4. पत्रावली में संलग्न सर्वे मानचित्र(पृष्ठ संख्या 67) में दर्शाये अनुसार क्षेत्र विश्लेषण निम्नानुसार है:-

| क्र.सं. | प्रयोजन            | एरिया वर्गगज | प्रतिशत |
|---------|--------------------|--------------|---------|
| 1.      | आवासीय/प्लॉट एरिया | 21706.30     | 77.25   |
| 2.      | सड़क               | 6393.97      | 22.75   |
|         | कुल                | 28100.27     | 100     |

5. आवेदित भूमि का रेलवे की सीमा से 100 फीट छोड़ने तथा एच. टी. लाईनों के नीचे मध्य बिन्दु से 9.3 मीटर दोनों ओर सेप्टी कोरिडोर उपरान्त 9 मीटर(30 फीट) सड़क हेतु एवं शेष समस्त सड़को को 30 फीट किया जाकर क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है:-

| क्र.सं. | प्रयोजन                                     | एरिया वर्गगज | प्रतिशत |
|---------|---------------------------------------------|--------------|---------|
| 1.      | आवासीय/प्लॉट एरिया                          | 11595.69     | 41.27   |
| 2.      | सड़क                                        | 12640.42     | 44.98   |
| 3.      | रेलवे भूमि से 100 फीट दूरी में आरक्षित भूमि | 3864.16      | 13.75   |
|         | कुल                                         | 28100.27     | 100     |

समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ ले आउट प्लान अनुमोदन का निर्णय लिया गया :-

1. नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु के अनुसार उपायुक्त प्रश्नगत ले आउट प्लान पर यह अंकित करेंगे कि "प्रश्नगत प्रकरण में कोई सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं है यदि कोई सरकारी भूमि पाई जाती है तो इस हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/आदेशों अनुसार उपायुक्त अपने स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे, विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है, भूमि अवाप्ति में भी नहीं है, मौके पर 10 प्रतिशत से अधिक निर्माण है, उक्त कॉलोनी 17.06.1999 से पूर्व अस्तित्व में आयी हुई है एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.2(30) नविनि/3/2016 पार्ट/1516-30 दिनांक 25.04.17 कि समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।"
2. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे।
3. दोनों एच. टी. लाईन के नीचे नियमानुसार सेप्टी कोरिडोर उपरान्त दोनों ओर 30 फीट सड़क रखी जावे।
4. उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या 5 के क्रम में रेलवे सीमा से 100 फीट दूरी तक

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*



|       |                    |                                                                                                                                                                                                                   | <p>कोई नियमन नहीं किया जावे।</p> <p>5. उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या 3 के क्रम में पट्टा जारी करते वक्त मौका रिपोर्ट ली जाकर न्यूनतम 30 फीट सड़क की सुनिश्चितता की जावे।</p> <p>6. ले-आउट प्लान की समस्त सड़कों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |              |         |    |                    |          |       |
|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|---------|----|--------------------|----------|-------|
| 7.    | दक्षिण             | <p>राजस्व ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 326 की भूमि पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।</p> <p>आवेदक:- श्री संध्या चौधरी पत्नी श्री सुखराम चौधरी व श्री निलम चौधरी पत्नी मदनगोपाल चौधरी</p> | <p>समिति को अवगत करवाया गया कि-</p> <p>1. जोन कैकलिस्ट अनुसार मौके पर क्रेशर प्लान्ट निर्मित होकर चालू है। मौके पर 20 फीट रास्ता चालू है। वस्तुतः उक्त सड़क रिकॉर्ड/कटाण रास्ता नहीं है एवं अलग-अलग जगह पर 15 से 20 फीट अलग-अलग चौड़ाई है। उक्त मार्ग/सरकारी खातेदारी भूमि में से है। समर्पणनामा एवं कटाण रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त खसरे में से एच. टी. लाईन गुजर रही है। प्रस्तावित भूमि के बिल्कुल सामने खनन कार्य हो रहा है।</p> <p>2. मास्टर डवलपमेन्ट प्लान, 2031 (प्रारूप) की डीसीआर अनुसार यू-2 में क्रेशर उल्लेखित नहीं है। आवेदक द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु आवेदन किया है।</p> <p>3. प्रकरण में पैरा संख्या 09 के अनुसार आवेदित भूमि मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (प्रारूप) के अन्तर्गत यू-2 में आरक्षित है। मास्टर डवलपमेन्ट प्लान, 2031 के अनुसार "Non polluting Eco freindly industries (Area not less than 1.0 ha.) May be considered by Statutory committee. Any other category of industry with the permission of Rajasthan state Pollution Control Board With EIA." आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 5985 वर्गमीटर है। जो कि 01 हैक्टेयर से कम है।</p> <p>4. आवेदित भूमि को चालू 30 फीट कच्चा रास्ता से मार्ग उपलब्ध है व कटाणी मार्ग उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 26.02.2013 के अनुसार 1500 वर्गमीटर से अधिक हेतु 24 मीटर सड़क अपेक्षित है।</p> <p>5. उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक द्वारा संशोधित जमाबन्दी प्रस्तुत कर दी गयी है एवं आवेदित भूमि को वर्तमान में कटाण मार्ग से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है।</p> <p>समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रकरण में एजेण्डा के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में आगामी कार्यकारी समिति/प्राधिकरण बैठक में निर्णय उपरान्त ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय निम्नांकित शर्तों पर दिया गया:-</p> <p>1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुँच मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम 80 फीट रखी जावे।</p> <p>2. मास्टर प्लान अनुसार आवेदित भूमि में से गुजर रही प्रस्तावित 30 मी0 सड़क को यथावत रखा जावे।</p> <p>3. मास्टर प्लान पर प्राप्त आपत्ति संख्या-306 दिनांक 26.08.2014 आपत्ति ना होकर मात्र सुझाव है, उक्त सुझाव पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।</p> <p>4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी।</p> <p>5. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्रनगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और न ही न्यायालय में कोई वाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।</p> <p>6. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमार्केशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</p> <p>7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/रिको भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p> <p>8. उक्त प्रस्तावित भूमि से संबंधित अन्य राजस्व प्रशासनिक वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।</p> |       |         |              |         |    |                    |          |       |
| 8.    | दक्षिण             | <p>राजस्व ग्राम बासनी चौहाना के खसरा संख्या 40 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।</p> <p>आवेदक:- गार्ड पत्रावली</p>                                                                 | <p>समिति को अवगत करवाया गया कि-</p> <p>1. प्रकरण ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 14.02.2013 के प्रस्ताव संख्या 02 पर रखा जाकर अनुमोदन किया गया। आवेदित भूमि के उत्तरी दिशा में स्थित भूखण्ड संख्या 238 से 247 की मौका स्थिति अनुसार तथा ले-आउट अनुसार स्थिति भिन्न है, जिसमें से भूखण्ड संख्या 240 का पट्टा विलेख 25x45 = 125 वर्गगज का जारी है।</p> <p>2. अनुमोदित ले-आउट प्लान में क्षेत्र विश्लेषण निम्नानुसार है :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क.सं.</th><th>प्रयोजन</th><th>एरिया वर्गगज</th><th>प्रतिशत</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>आवासीय/प्लॉट एरिया</td><td>39301.12</td><td>74.43</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | क.सं. | प्रयोजन | एरिया वर्गगज | प्रतिशत | 1. | आवासीय/प्लॉट एरिया | 39301.12 | 74.43 |
| क.सं. | प्रयोजन            | एरिया वर्गगज                                                                                                                                                                                                      | प्रतिशत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |              |         |    |                    |          |       |
| 1.    | आवासीय/प्लॉट एरिया | 39301.12                                                                                                                                                                                                          | 74.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |              |         |    |                    |          |       |

|     |        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |          |       |  |     |          |     |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|-------|--|-----|----------|-----|
|     |        |                                                                                                                                                                                 | <table border="1"> <tr> <td>2.</td><td>सड़क</td><td>13500.49</td><td>25.57</td></tr> <tr> <td></td><td>कुल</td><td>52801.61</td><td>100</td></tr> </table> <p>3. उपरोक्त अनुमोदित ले-आउट प्लान में मौका स्थिति अनुसार कार्यवाही किये जाने पर आवासीय विक्रय योग्य क्षेत्रफल बढ़ेगा, तथा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2017 के अनुसार 70 से अधिक लेकिन 75 तक विक्रय योग्य क्षेत्रफल वाली योजना का नियमन केवल उसी स्थिति में किया जायेगा, यदि अन्य कोई विकल्प नहीं बचा हो। अतः राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रेषित करते समय सभी बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट की जावे।</p> <p>4. प्रकरण में आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 03.07.2017 अनुसार "यदि प्रार्थी का मौके पर स्वामित्व दस्तावेजों के अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल अनुमोदित ले-आउट प्लान से ज्यादा है एवं अनुमोदित ले-आउट प्लान की सड़क/सुविधा एवं आस-पास के भूखण्डों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो मौके पर स्वामित्व दस्तावेजों अनुसार नियमानुसार पट्टा दिया जावे।"</p> <p>समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् एजेण्डा के बिन्दु संख्या-4 में उल्लेखित आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 03.07.2017 के अनुसार अतिरिक्त भूमि की नियमानुसार राशी वसूल करते हुये पट्टे जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा प्रकरण में सम्पूर्ण जाँच करने हेतु उपायुक्त को निर्देशित किया गया।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2. | सड़क | 13500.49 | 25.57 |  | कुल | 52801.61 | 100 |
| 2.  | सड़क   | 13500.49                                                                                                                                                                        | 25.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |          |       |  |     |          |     |
|     | कुल    | 52801.61                                                                                                                                                                        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |          |       |  |     |          |     |
| 9.  | दक्षिण | <p>राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 215 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।</p> <p>आवेदक:- गार्ड पत्रावली</p>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |          |       |  |     |          |     |
| 10. | पश्चिम | <p>राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा संख्या 114, 115 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।</p> <p>गार्ड पत्रावली</p>                                | <p>समिति को अवगत करवाया गया कि-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रश्नगत प्रकरण को बीपीसी एलपी की बैठक दिनांक 09.01.2017 में रखा गया था। जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिया गया था :-</li> <li>2. "प्रकरण भवन विनियम मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा मानचित्र में अनुमोदित सड़को को यथावत रखा जाने का निर्णय लिया गया।"</li> <li>3. प्रकरण को बीपीसी(एलपी) 5/2017 वीं बैठक दिनांक 10.04.2017 में रखा गया था। जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिया गया था :-</li> <li>4. "प्रकरण में समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि पूर्व में वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन द्वारा यदि कोई ले-आउट प्लान अनुमोदित है तो जांच कर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।"</li> <li>5. उक्त निर्ण की अनुपालना में कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर जोन जोधपुर को पत्र दिनांक 21.04.2017 लिखा गया। उसके प्रत्युत्तर में वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर जोन जोधपुर द्वारा उक्त खसरा संख्या के मानचित्र हेतु अनुमोदित मानचित्र के पत्र क्रमांक व दिनांक की है मांग की जो कि इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।</li> <li>6. आवेदित भूमि भूखण्ड संख्या 12 का पट्टा उप-खण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा जारी किया गया है, जो कि पत्रावली के फ्लेग संख्या 'ए' पर संलग्न है।</li> <li>7. प्रार्थी ने पट्टा दिलाने हेतु अध्यक्ष जोविप्रा को दिनांक 18.05.2017 को पत्र प्रस्तुत किया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रकरण में भूखण्ड संख्या 12 का पट्टा उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा जारी किया गया है। उक्तानुसार ही ले-आउट में संशोधन किया जावे तथा उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा जारी पट्टे अनुसार संशोधन किया जावे।</li> <li>2. उपरोक्त संशोधन करने से पूर्व ले-आउट प्लान के क्षेत्रफल विश्लेषण की गणना की जावे तथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे।</li> </ol> |    |      |          |       |  |     |          |     |
| 11. | दक्षिण | <p>राजस्व ग्राम भाण्डू कल्ला के खसरा संख्या 149/2 की भूमि पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।</p> <p>आवेदक:- श्री देवेन्द्रसिंह पुत्र श्री भवानीसिंह</p> | <p>समिति को अवगत करवाया गया कि-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रकरण में भू-उपयोग मास्टर प्लान 2031 (प्रारूप) अनुसार कॉरपोरेट पार्क में स्थित है, तथा कॉरपोरेट पार्क की डीसीआर नहीं है, साथ ही उक्त उपयोग पर आपति संख्या 477 दर्ज है।</li> <li>2. आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर से अधिक है, जिसमें राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 23.02.2013 अनुसार न्यूनतम 24 मीटर सड़क आवश्यक है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार 60 फीट सड़क दर्शायी है। प्रकरण में जोन चौकलिस्ट अपेक्षित है, साथ ही उक्त सड़क किसी कटाण मार्ग की है अथवा खातेदारी भूमि में से है, इस संबंध में जोन से टिप्पणी आवश्यक है।</li> <li>3. उपरोक्त के संबंध में आवेदक द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के संबंध में आपति नहीं होने व कॉरपोरेट पार्क में औद्योगिक प्रयोजनार्थ अनुज्ञेय किये जाने के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन हेतु निवेदन किया गया है। उक्त के क्रम में प्राधिकरण द्वारा पत्र क्रमांक एफ.37/जेडीए/नि.आ./2017/3019 दिनांक 08.12.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |          |       |  |     |          |     |

2

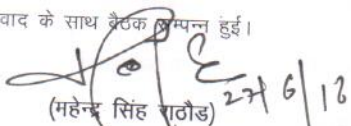
*(Handwritten signatures and marks)*



|      |                    |                                                                                                                                         | <p>2017 को मुख्य नगर नियोजक को पत्र लिखा गया। जिसके क्रम में दिनांक 20.12.2017 को अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(पूर्व) का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें जोधपुर विकास प्राधिकरण स्तर पर ही निर्णय लिये जाने का उल्लेख है।</p> <p>4. जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08.01.2018 को संयुक्त शासन सचिव-तृतीय को पत्र लिखा जाकर कॉरपोरेट पार्क की डीसीआर में औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु अनुज्ञेयता के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है, जिसके क्रम में राज्य सरकार के पत्र दिनांक 30.01.2018 प्राप्त हुआ जिसमें निम्नानुसार उल्लेख है:-</p> <p>5. "कॉरपोरेट पार्क हेतु पृथक से डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेग्यूलेशन प्रारूप मास्टर प्लान में सम्मिलित नहीं है। अतः वर्तमान कॉरपोरेट पार्क में अनुज्ञेय उपयोगों के संबंध में जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्तर से ही डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेग्यूलेशन हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाना है। चूंकि प्राधिकरण में मास्टर प्लान भी प्राधिकरण की बैठक के स्तर से अनुमोदित किया जाना है, अतः कॉरपोरेट पार्क हेतु डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेग्यूलेशन भी प्राधिकरण की बैठक में ही रखकर अनुमोदित किया जाना है। यदि कॉरपोरेट पार्क हेतु डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेग्यूलेशन के प्रस्ताव पर राज्य सरकार से मार्गदर्शन आवश्यक समझा जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा टिप्पणी सहित प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया जाये।"</p> <p><b>समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-</b></p> <p>1. प्रकरण एम्पावर्ड समिति से संबंधित नहीं है।</p> <p>2. डाफ्ट मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 में जिन क्षेत्रों की डीसीआर नहीं बनी है, उनकी डीसीआर तैयार कर आगामी कार्यकारी समिति/प्राधिकरण बैठक में रखने हेतु निर्देशित किया गया।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |              |         |    |                    |          |       |    |      |         |       |    |      |          |       |  |     |          |     |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------|---------|----|--------------------|----------|-------|----|------|---------|-------|----|------|----------|-------|--|-----|----------|-----|
| 12.  | दक्षिण             | <p>राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 775/81 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।</p> <p>गार्ड पत्रावली</p> | <p>समिति को अवगत करवाया गया कि-</p> <p>1. नहर की भूमि को छोड़ने के पश्चात मास्टर प्लान की सड़क को 100' मानते तथा समस्त आन्तरिक सड़कों को 30 फीट करते हुए योजना मानचित्र का क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क.स.</th><th>प्रयोजन</th><th>एरिया वर्गगज</th><th>प्रतिशत</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>आवासीय/प्लॉट एरिया</td><td>3650.58</td><td>59.69</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>सड़क</td><td>2464.68</td><td>40.31</td></tr> <tr> <td></td><td>कुल</td><td>6115.26</td><td>100</td></tr> </tbody> </table> <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श पश्चात् प्रकरण दिनांक 17.06.1999 से पूर्व होने अथवा नहीं होने के सन्दर्भ में उपायुक्त स्तर पर जाँच कर आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।</p> <p>समिति को अवगत करवाया गया कि-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | क.स. | प्रयोजन | एरिया वर्गगज | प्रतिशत | 1. | आवासीय/प्लॉट एरिया | 3650.58  | 59.69 | 2. | सड़क | 2464.68 | 40.31 |    | कुल  | 6115.26  | 100   |  |     |          |     |
| क.स. | प्रयोजन            | एरिया वर्गगज                                                                                                                            | प्रतिशत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |              |         |    |                    |          |       |    |      |         |       |    |      |          |       |  |     |          |     |
| 1.   | आवासीय/प्लॉट एरिया | 3650.58                                                                                                                                 | 59.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |              |         |    |                    |          |       |    |      |         |       |    |      |          |       |  |     |          |     |
| 2.   | सड़क               | 2464.68                                                                                                                                 | 40.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |              |         |    |                    |          |       |    |      |         |       |    |      |          |       |  |     |          |     |
|      | कुल                | 6115.26                                                                                                                                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |              |         |    |                    |          |       |    |      |         |       |    |      |          |       |  |     |          |     |
| 13.  | पूर्व              | <p>राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 76 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।</p> <p>गार्ड पत्रावली</p>   | <p>समिति को अवगत करवाया गया कि-</p> <p>1. आवेदित भूमि झालामण्ड चौराहे से गुड़ा जाने वाली सड़क पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 100 फीट की श्रेणी में आरक्षित है।</p> <p>2. आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान अनुसार आवासीय व मुख्य सड़क के सहारे-सहारे व्यवसायिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है।</p> <p>3. आवेदित भूमि के उत्तर-पूर्व में नाला स्थित है, उक्त नाला पटवारी रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड अनुसार गै0मु0 वाला दर्ज है, उक्त नाले से बफर जोन छोड़े जाने बाबत निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।</p> <p>4. प्रकरण में सर्वेयर द्वारा अंकित क्षेत्रफल विश्लेषण में 24774.85 वर्गमीटर अर्थात् 29619.70 वर्गगज क्षेत्रफल अंकित किया गया है, जिसे काली डोटेट लाईन से दर्शाया गया है परन्तु पटवारी द्वारा सुपरईपॉज ए से आई तक किया गया है। उक्त सुपरईपॉज में उत्तर दिशा में स्थित भूखण्डों के क्षेत्रफल को भी आयोजना शाखा द्वारा सम्मिलित करते हुये कुल क्षेत्रफल 36143.87 वर्गगज प्राप्त होता है। अतः आवेदित भूमि में कोई सरकारी भूमि सम्मिलित है अथवा नहीं की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जानी अपेक्षित है।</p> <p>5. प्रकरण में सर्वेयर द्वारा भू0स0 92, 93 व 94 के भाग को मे नाला दर्शाया गया है, उक्तानुसार ही उक्त भूखण्डों को नाले के क्षेत्रफल में सम्मिलित करते हुये आयोजना शाखा द्वारा क्षेत्रफल विश्लेषण किया गया है।</p> <p>6. मास्टर प्लान की सड़क को 100' मानते तथा समस्त आन्तरिक सड़कों को 30 फीट करते हुए योजना मानचित्र का क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क.स.</th><th>प्रयोजन</th><th>एरिया वर्गगज</th><th>प्रतिशत</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>आवासीय/प्लॉट एरिया</td><td>24870.26</td><td>68.81</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>नाला</td><td>243.69</td><td>0.67</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>सड़क</td><td>11029.92</td><td>30.52</td></tr> <tr> <td></td><td>कुल</td><td>36143.87</td><td>100</td></tr> </tbody> </table> | क.स. | प्रयोजन | एरिया वर्गगज | प्रतिशत | 1. | आवासीय/प्लॉट एरिया | 24870.26 | 68.81 | 2. | नाला | 243.69  | 0.67  | 3. | सड़क | 11029.92 | 30.52 |  | कुल | 36143.87 | 100 |
| क.स. | प्रयोजन            | एरिया वर्गगज                                                                                                                            | प्रतिशत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |              |         |    |                    |          |       |    |      |         |       |    |      |          |       |  |     |          |     |
| 1.   | आवासीय/प्लॉट एरिया | 24870.26                                                                                                                                | 68.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |              |         |    |                    |          |       |    |      |         |       |    |      |          |       |  |     |          |     |
| 2.   | नाला               | 243.69                                                                                                                                  | 0.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |              |         |    |                    |          |       |    |      |         |       |    |      |          |       |  |     |          |     |
| 3.   | सड़क               | 11029.92                                                                                                                                | 30.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |              |         |    |                    |          |       |    |      |         |       |    |      |          |       |  |     |          |     |
|      | कुल                | 36143.87                                                                                                                                | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |              |         |    |                    |          |       |    |      |         |       |    |      |          |       |  |     |          |     |

|         |                              |                                                                                                                                                                                    | <p>समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रकरण में प्रस्तुत चैक लिस्ट में आवेदित भूमि पर 10 प्रतिशत से अधिक निर्माण अंकित है जबकि पटवारी द्वारा पत्रावली में की गयी रिपोर्ट में मौके पर 10 प्रतिशत से अधिक भवन निर्मित एवं निर्माणाधीन है, अंकित है। अतः उपरोक्त दोनों में विरोधाभास होने के कारण मौके पर निर्माण के प्रतिशत के संबंध में उपायुक्त स्तर पर जांच करके आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</li> <li>2. यदि मौके पर 10 प्रतिशत से कम निर्माण पाया जाता है तो प्रकरण को निरस्त किया जावे।</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |              |         |    |                    |          |       |    |      |          |       |  |     |          |     |         |         |              |         |    |                    |         |       |    |                              |          |       |  |     |          |     |
|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|---------|----|--------------------|----------|-------|----|------|----------|-------|--|-----|----------|-----|---------|---------|--------------|---------|----|--------------------|---------|-------|----|------------------------------|----------|-------|--|-----|----------|-----|
| 14.     | दक्षिण                       | <p>राजस्व ग्राम बासनी चौहाना के खसरा संख्या 17 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।</p> <p>आवेदक:- श्रीमती चेतना आढा पत्नी श्री महेन्द्रसिंह अखावत</p> | <p>समिति को अवगत करवाया गया कि-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि का भू-उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान 2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है।</li> <li>2. राजस्व ग्राम बासनी चौहाना के खसरा संख्या 17 का ले-आउट प्लान दिनांक 18.03.2013 को आयोजित जौन स्तरीय ले-आउट प्लान कमेटी की बैठक में अनुमोदित किया गया। जिसके कार्यवाही विवरण गार्ड पत्रावली के पृष्ठ संख्या 83 पर संलग्न है।</li> <li>3. प्रकरण में प्राप्त पटवारी मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड के माप में गिनता है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा प्रकरण में मौके स्थिति अनुसार व स्वामित्व दस्तावेजों की जांच उपायुक्त स्तर पर कर मानचित्र में संशोधन करते हुए पट्टे जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |              |         |    |                    |          |       |    |      |          |       |  |     |          |     |         |         |              |         |    |                    |         |       |    |                              |          |       |  |     |          |     |
| 15.     | पूर्व                        | <p>राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 3, 128/81, 189/3 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।</p> <p>गार्ड पत्रावली</p>                                  | <p>समिति को अवगत करवाया गया कि-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि का भू-उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान-2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा मुख्य जयपुर सड़क का मार्गाधिकार 200 फीट की श्रेणी के आरक्षित है।</li> <li>2. पत्रावली के पैरा-एन 95 के बिन्दु संख्या 5 पर पटवारी रिपोर्ट अनुसार पत्रावली के पृष्ठ संख्या-10 पर दिनांक 24.03.2008 को सचिव, बी0जे0एस सोसायटी जोधपुर ने जरिये प्रार्थना पत्र खसरा संख्या-4, 5 व 30 की भूमि को 90 बी की कार्यवाही से पुनर्ग्रहीत करने व संस्था द्वारा उक्त खसरान पर किसी प्रकार के भूखण्ड आवंटन नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ प्रकरण संख्या-3629/08 दिनांक 26.06.2008 सचिव, बी0जे0एस सोसायटी जोधपुर बनाम तहसीलदार जोधपुर में केवल खसरा संख्या-03, 188/28 व 189/3 कुल रकबा-7.11 बीघा भूमि की 90बी की जाकर न्यास के हक में नामान्तरण दायर करने का निर्णय लिया गया।</li> <li>3. आवेदित भूमि का भू-उपयोग विश्लेषण प्राप्त सर्वे अनुसार निम्नानुसार है:-</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th><th>प्रयोजन</th><th>एरिया वर्गगज</th><th>प्रतिशत</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>आवासीय/प्लॉट एरिया</td><td>25827.69</td><td>35.71</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>सड़क</td><td>46493.94</td><td>64.29</td></tr> <tr> <td></td><td>कुल</td><td>72321.63</td><td>100</td></tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. आवेदित भूमि में मुख्य सड़क का मार्गाधिकार 200 फीट, ले-आउट की आन्तरिक सड़कों का मार्गाधिकार 30, 40 फीट व रेलवे सीमा से 100 फीट छोड़ने के उपरान्त क्षैत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है:-</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th><th>प्रयोजन</th><th>एरिया वर्गगज</th><th>प्रतिशत</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>आवासीय/प्लॉट एरिया</td><td>7955.17</td><td>59.69</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>रेलवे नोकन्सटक्सन जौन व सड़क</td><td>48801.55</td><td>40.31</td></tr> <tr> <td></td><td>कुल</td><td>56762.72</td><td>100</td></tr> </tbody> </table> <p>समिति द्वारा आवेदित भूमि में बिन्दु संख्या 02 अनुसार अन्य खसरान की भूमि सम्मिलित होना पाया गया, जिसके सन्दर्भ में पुनः जौन द्वारा परीक्षण कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p> | क्र.सं. | प्रयोजन | एरिया वर्गगज | प्रतिशत | 1. | आवासीय/प्लॉट एरिया | 25827.69 | 35.71 | 2. | सड़क | 46493.94 | 64.29 |  | कुल | 72321.63 | 100 | क्र.सं. | प्रयोजन | एरिया वर्गगज | प्रतिशत | 1. | आवासीय/प्लॉट एरिया | 7955.17 | 59.69 | 2. | रेलवे नोकन्सटक्सन जौन व सड़क | 48801.55 | 40.31 |  | कुल | 56762.72 | 100 |
| क्र.सं. | प्रयोजन                      | एरिया वर्गगज                                                                                                                                                                       | प्रतिशत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |              |         |    |                    |          |       |    |      |          |       |  |     |          |     |         |         |              |         |    |                    |         |       |    |                              |          |       |  |     |          |     |
| 1.      | आवासीय/प्लॉट एरिया           | 25827.69                                                                                                                                                                           | 35.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |              |         |    |                    |          |       |    |      |          |       |  |     |          |     |         |         |              |         |    |                    |         |       |    |                              |          |       |  |     |          |     |
| 2.      | सड़क                         | 46493.94                                                                                                                                                                           | 64.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |              |         |    |                    |          |       |    |      |          |       |  |     |          |     |         |         |              |         |    |                    |         |       |    |                              |          |       |  |     |          |     |
|         | कुल                          | 72321.63                                                                                                                                                                           | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |              |         |    |                    |          |       |    |      |          |       |  |     |          |     |         |         |              |         |    |                    |         |       |    |                              |          |       |  |     |          |     |
| क्र.सं. | प्रयोजन                      | एरिया वर्गगज                                                                                                                                                                       | प्रतिशत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |              |         |    |                    |          |       |    |      |          |       |  |     |          |     |         |         |              |         |    |                    |         |       |    |                              |          |       |  |     |          |     |
| 1.      | आवासीय/प्लॉट एरिया           | 7955.17                                                                                                                                                                            | 59.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |              |         |    |                    |          |       |    |      |          |       |  |     |          |     |         |         |              |         |    |                    |         |       |    |                              |          |       |  |     |          |     |
| 2.      | रेलवे नोकन्सटक्सन जौन व सड़क | 48801.55                                                                                                                                                                           | 40.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |              |         |    |                    |          |       |    |      |          |       |  |     |          |     |         |         |              |         |    |                    |         |       |    |                              |          |       |  |     |          |     |
|         | कुल                          | 56762.72                                                                                                                                                                           | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |              |         |    |                    |          |       |    |      |          |       |  |     |          |     |         |         |              |         |    |                    |         |       |    |                              |          |       |  |     |          |     |

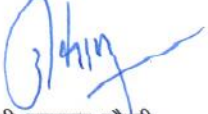
अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

  
 (महेन्द्र सिंह राठौड़)  
 अध्यक्ष  
 जोधपुर विकास प्राधिकरण  
 जोधपुर

  
 श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा  
 आयुक्त  
 जोधपुर विकास प्राधिकरण  
 जोधपुर

  
 अरुण पुरोहित  
 सचिव  
 जोधपुर विकास प्राधिकरण  
 जोधपुर

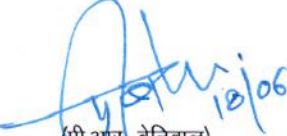


  
श्री सुखराम चौधरी  
निदेशक अभियांत्रिकी  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर

  
श्री श्रवण कुमार  
उपायुक्त (पूर्व/उत्तर)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर

  
श्रीमती चंचल वर्मा  
उपायुक्त (पश्चिम)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर

  
श्री राकेश शर्मा  
उपायुक्त (दक्षिण)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर

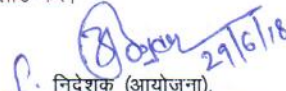
  
(श्री.आर. बेनीवाल)  
निदेशक आयोजना एवं सदस्य  
सचिव  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर

क्रमांक :- 4344-79

दिनांक- 29/06/18

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

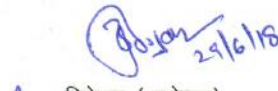
1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
6. एसीपी श्री देवेन्द्र गेहलोत को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करें।

  
निदेशक (आयोजना),  
एवं सदस्य सचिव, एम्पावर्ड कमेटी

परिशिष्ट-“1”

एम्पावर्ड कमेटी की प्रथम बैठक 1/2018 वीं बैठक दिनांक 14.06.2018 को प्रातः 10:00 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण माननीय अध्यक्ष महोदय डॉ. महेन्द्र राठौड की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- |                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. श्री दुर्गेश विस्सा, आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर।             | सदस्य          |
| 2. श्री अरुण पुरोहित, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।                 | सदस्य          |
| 3. श्री सुखराम चौधरी निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य          |
| 4. श्री श्रवण कुमार, उपायुक्त (पूर्व/उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | विशेष आमंत्रित |
| 5. श्रीमती चंचल वर्मा, उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर।    | विशेष आमंत्रित |
| 6. श्री राकेश शर्मा, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर।      | विशेष आमंत्रित |
| 7. श्री पूर्णाराम बेनीवाल, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव     |

  
निदेशक (आयोजना),  
एवं सदस्य सचिव, एम्पावर्ड कमेटी